GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

Modification Window for Course Completed Act Apprentices (CCAAs) Trained in Railway Establishment Under CEN No. 09/2025

1. CCAAs trained in Railway Establishment are given due weightage of marks obtained in their NCVT examination in preparation of final merit list after conduct of CBT. CCAAs trained in Railway Establishment are exempted from Physical Efficiency Test (PET) also.

2. As per para 12.2 of Centralized Employment Notice No. 09/2025 candidates shall be considered to have completed the Act Apprenticeship training, only if he has already appeared in the NCVT examination before the last date of online application i.e. **09.03.2026**, the result for which might not have been declared. Further, the candidates shall fill up the detail of marks obtain and the status of passing in the said certification in the RRB portal when the modification window is opened at appropriate time. Candidates who fail to fill up the marks will be awarded zero marks against the NCVT weightage, and accordingly the merit list shall be drawn. Subsequent representations to consider the marks under NCVT weightage beyond the modification window or through other modes of communication shall not be considered.

3. Now, in order to facilitate such candidates in furnishing their certificate details and marks obtained in the NCVT examination, thereby enabling calculation of their due weightage under the CCAA quota, a window for application modification under CEN No. 09/2025 will be opened from **22.10.2026 (00:01 hrs) to 28.10.2026 (23:59 hrs).** This facility shall be available only to those CCAA candidates who appeared in the CBT, had not furnished their marks in the online application, and had indicated the date of their last NCVT examination. Such candidates may use this modification window to fill in or update their certificate details and marks obtained in the NCVT examination.

4. Candidates who fail to update certificate details and marks in the online application during the modification window will not be treated as “CCAAs Trained in Railway Establishment and possessing National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT”.

5. NCVT examination details filled by the candidates will be verified during document verification. Candidature of the candidates will be subject to correctness of the details.

Chairpersons
Railway Recruitment Boards

Date: 16.10.2026

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 09/2025 के तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) हेतु संशोधन विंडो

1. सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) आयोजित होने के पश्चात अंतिम योग्यता सूची तैयार करते समय रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीएए (CCAAs) को उनकी एनसीवीटी (NCVT) परीक्षा में प्राप्त अंकों का यथोचित लाभ (वेटेज) दिया जाता है। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सीसीएए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से भी छूट दी गई है।

2. केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 09/2025 के पैरा 12.2 के अनुसार, अभ्यर्थी को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूर्ण तभी माना जाएगा, यदि वह ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक यानी 09.03.2026 से पूर्व एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो, भले ही उसका परिणाम घोषित न हुआ हो। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त समय पर आरआरबी पोर्टल पर संशोधन विंडो खोले जाने पर अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणन में प्राप्त अंकों का विवरण एवं उत्तीर्ण होने की स्थिति दर्ज करनी होगी। जो उम्मीदवार अंक भरने में विफल रहेंगे, उन्हें एनसीवीटी वेटेज के तहत शून्य अंक दिए जाएंगे और उसी अनुसार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। संशोधन विंडो की अवधि समाप्त होने के उपरांत या किसी अन्य माध्यम से एनसीवीटी वेटेज के तहत अंकों पर विचार करने हेतु प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. अब, ऐसे अभ्यर्थियों को एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा अपने प्रमाण पत्र का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा देने के लिए ताकि सीसीएए कोटे के तहत उनके यथोचित वेटेज की गणना की जा सके सीईएन संख्या 09/2025 के अंतर्गत आवेदन संशोधन विंडो दिनांक 22.10.2026 (00:01 बजे) से 28.10.2026 (23:59 बजे) तक खोली जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं सीसीएए अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी, जो सीबीटी में उपस्थित हुए थे और जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अपने अंक नहीं भरे थे तथा अपनी अंतिम एनसीवीटी परीक्षा की तिथि निर्दिष्ट की थी। ऐसे अभ्यर्थी एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अपने अंक और प्रमाण पत्र विवरण भरने अथवा अद्यतन (अपडेट) करने के लिए इस संशोधन विंडो का उपयोग कर सकते हैं।

4. जो अभ्यर्थी संशोधन विंडो के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अपने प्रमाण पत्र का विवरण और अंक अद्यतन (अपडेट) करने में विफल रहते हैं, उन्हें "रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित एवं एनसीवीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (NAC) धारक सीसीएए" नहीं माना जाएगा।

5. अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए एनसीवीटी परीक्षा के विवरण का सत्यापन दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विवरण की सत्यता के अधीन होगी।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड

दिनांक: 16.10.2026